दिनांक 08.12.2017 को पूर्वाह्न 11:00 बजे समिति कक्ष, राजविअ, तीसरी मंजिल, पालिका भवन, नई दिल्ली में" नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त ।

"नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की तीसरी बैठक भारत सरकार के पूर्व सचिव और समूह के अध्यक्ष डॉ प्रोदीप्तो घोष की अध्यक्षता में दिनांक 08.12.2017 (शुक्रवार) को सुबह 11:00 बजे राजविअ के समिति कक्ष, तीसरी मंजिल, पालिका भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-1.0 में संलग्न है।

प्रारंभ में, अध्यक्ष ने सभी सदस्यों, आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने भारत सरकार के पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार डॉ दीपक दासगुप्ता का परिचय कराया और उनका स्वागत किया। उन्होंने हरित जलवायु कोष की शासी परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में डॉ दासगुप्ता की सेवा और विश्व बैंक के साथ उनके पहले के सहयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि इस समूह के साथ उनका जुड़ाव बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने बताया कि नीति आयोग, यस बैंक और राजविअ से एक-एक प्रस्तुतियां आज के लिए प्रस्तुत की गई हैं। हालांकि कुछ अन्य कार्यक्रमों के कारण, नीति आयोग के प्रतिनिधि आज बैठक में भाग नहीं ले पाए थे। इसलिए आज हम दो प्रस्तुतियां देंगे और अगली बैठक में नीति आयोग की प्रस्तुति की व्यवस्था की जा सकती है। तत्पश्चात् उन्होंने समूह के सदस्य सचिव श्री के पी गुप्ता से अनुरोध किया कि वे कार्यसूची मदों को एक-एक करके चर्चा के लिए उठाएं।

मद 3.1 दिनांक 17.11.2017 को आयोजित वित्तीय पहलू पर समूह की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

नई दिल्ली में दिनांक 17.11.2017 को नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त को राजविअ के दिनांक 28 नवंबर, 2017 के पत्र के माध्यम से सदस्यों/ विशेष आमंत्रित सदस्यों के बीच परिचालित किया गया था। समूह के सदस्य श्री सतीश राव ने अपने दिनांक 7.12.2017 (अनुलग्नक-3.1) के ईमेल के माध्यम से मद संख्या 2.4 (आईएलआर परियोजना के लिए भारतीय वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का संभावित भावी प्रक्षेपवक्र) के संबंध में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। अन्य सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। सुझाए गए संशोधनों पर चर्चा के बाद, श्री सतीश राव द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ 17.11.2017 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया था।

मद 3.2 नीति आयोग द्वारा अगले 30 वर्षों में राजकोषीय स्त्रोतों से आईएलआर कार्यक्रम के लिए निधियों के संभावित प्रवाह का अनुमान।

इस मद को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि नीति आयोग के प्रतिनिधि किसी अन्य पूर्व-कार्य के कारण बैठक में भाग लेने के लिए नहीं आ सके थे।

मद 3.3 *यस बैंक द्वारा* निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों भारतीय वित्तीय संस्थानों से आईएलआर कार्यक्रम के लिए निधियों के संभावित प्रवाह का अनुमान।

श्री प्रणय रंजन, सहायक निदेशक, कारपोरेट वित्त, यस बैंक, नई दिल्ली ने बताया कि वह अभी भी अपनी प्रस्तुति पर काम कर रहे हैं और उन्हें विवरण को निर्धारित करने के लिए लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय ने उनसे अपेक्षित प्रयोजन के लिए अपनाई जा रही पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा देने को कहा। उन्होंने कहा कि वह दो दृष्टिकोणों पर काम कर रहे हैं - (i) बुनियादी क्रेडिट परिनियोजन मॉडल, और (ii) सकल घरेलू उत्पाद आधारित मॉडल। पहले मॉडल की व्याख्या करते हुए, उन्होंने कहा कि उनके अस्थायी मूल्यांकन के अनुसार, बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए आवश्यक बैंक ऋण अगले 15 वर्षों के लिए कुल संस्थागत ऋण का 13.2% होगा। इसमें से, आईएलआर परियोजनाओं के लिए आवश्यकता 2.5% के क्रम की हो सकती है। दूसरे मॉडल की व्याख्या करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि विभिन्न वर्षों के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद पर आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने अन्य सदस्यों से विचार आमंत्रित किए। केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री ए बी पांड्या ने कहा कि विद्युत परियोजनाओं को आबंटित हेडवर्क्स की लागत का बड़ा हिस्सा बिजली दरों में वृद्धि कर रहा है। भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर परियोजना के मामले में यह अनुभव किया गया है।

एनएचपीसी के निदेशक (वित्त) श्री मित्तल ने सुझाव दिया कि आईएलआर की लागत का 25% सरकार (केंद्र और राज्य सरकारों) की ओर से आना चाहिए। अन्य स्रोतों से निधियों का प्रवाह निम्नानुसार होना चाहिए-

(i) एलआईसी - 20%

(ii) सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंक - 30% (बांडों के माध्यम से वार्षिक रूप से 25,000/- करोड़ रुपये का सृजन किया जाना चाहिए)

(iii) विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों- 25%

अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि समूह निश्चित रूप से अपने कार्य के भाग के रूप में किए जा रहे अनुमानों के आधार पर विभिन्न स्रोतों से आईएलआर कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण को जुटाने का प्रयास करेगा।

श्री सतीश राव ने उल्लेख किया कि यस बैंक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का अभ्यास अधिक सही होना चाहिए। उनकी राय में, अगले 20 वर्षों में 6.5% सकल घरेलू उत्पाद की धारणा अधिक यथार्थवादी होगी।

डॉ दासगुप्ता ने यह भी कहा कि यस बैंक द्वारा अपनाई जा रही जीडीपी वृद्धि दर का दृष्टिकोण सही तरीका है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद के बारे में यथार्थवादी धारणाएं बनाई जानी चाहिए। 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बजाय, उन्होंने अधिक यथार्थवादी आंकड़े के रूप में 7% का समर्थन किया। एक बार घरेलू वित्त की कुल लागत और हिस्सेदारी का पता लगाने के बाद, इस अंतर को विश्व बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है। तथापि, उनका विचार था कि परियोजना की कुल लागत को इसी प्रकार की परियोजनाओं में लागत वृद्धि के अनुभव के आधार पर संशोधित करने

की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि हमें आईएलआर परियोजनाओं के मामले में सिफारिशें देने से पहले तीन पूर्ण परियोजनाओं, जैसे कि भारत की नर्मदा परियोजना, चीन की तीन गॉर्जेस परियोजना और चीन की दक्षिण से उत्तर जल अंतरण परियोजना (या भारत की किसी अन् य पूर्ण मेगा परियोजना) के वित्तपोषण के अनुभव को शुरू से अंत तक समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हमारे मामले में शुरुआत में अधिक खर्च की आवश्यकता होगी, जबकि परियोजना के अंत में अर्जित / राजस्व सृजन के लाभ शुरू हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय ने डॉ दासगुप्ता के विचार से सहमति व्यक्त की और उल्लेख किया कि 30 वर्षों की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनिश्चित है। उन्होंने सुझाव दिया कि शुरू करने के लिए, कई वैकल्पिक जीडीपी विकास दरों को माना जा सकता है, जैसे कि 8%, 7% और 6%। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और ब्याज बचत दरों की घटती दर के प्रभाव को नीति आयोग द्वारा सबसे अच्छी तरह से संबोधित किया जाएगा। डॉ दासगुप्ता ने यह भी उल्लेख किया कि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7-8 वर्षों के चक्रों में उतार-चढ़ाव करती है, और इस तरह की चक्रीयता को ध्यान में रखने के प्रयास में लाभ हो सकता है। उन्होंने जीडीपी विकास पर कुछ प्रकाशित अध्ययन का उल्लेख करने का सुझाव दिया जो बचत दर को प्रभावित करता है। उन्होंने आगे यस बैंक के प्रतिनिधि को सुझाव दिया कि वे अपना अध्ययन करते समय डॉ दासगुप्ता के संपर्क में रहें और उनके मूल्यवान सुझाव लें।

श्री पंड्या ने सुझाव दिया कि परियोजना के वित्तपोषण को अंतिम मील के विकास और परियोजना के अंतिम मिनट की कनेक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। लोअर सुबनसिरी परियोजना और अरुणाचल प्रदेश की अन्य पनबिजली परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि कार्य जोरों पर शुरू किया गया था लेकिन बाद में एनजीटी और एमओईएफ के हस्तक्षेप पर, भारी प्रारंभिक निवेश करने के बाद काम बंद हो गया है और ठेकेदार काम शुरू करने के लिए सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी इस बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है कि निर्माण कार्य कब से फिर से शुरू होगा। ऐसे में अंतिम समय में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है।

मद 3.4 महानदी-गोदावरी लिंक का लागत विश्लेषण और संपूर्ण आईएलआर परियोजना की लागत पर इसके प्रभाव (*राजविअ द्वारा प्रस्तुति)*

राजविअ के वरिष्ठ सलाहकार श्री एम के सिन्हा ने महानदी-गोदावरी (एमजी) लिंक की लागत विश्लेषण और आईएलआर परियोजनाओं की अनुमानित लागत पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया, जो कुल पांच लिंकों नामत केन-बेतवा (चरण-I), पार-तापी-नर्मदा, दमनगंगा पिंजाल, महानदी-गोदावरी और मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी) लिंक के इनपुट के आधार पर किया गया था। आईएलआर परियोजनाओं की कुल लागत 11.89 लाख करोड़ रुपये हो गई। प्रस्तुति की प्रति अनुलग्नक-3.4 के रूप में संलग्न है। श्री सिन्हा ने उल्लेख किया कि 2003-04 के पीएल में एमजी लिंक की पूंजीगत लागत 17,540.54 करोड़ रुपये थी, जिसे 8% प्रति वर्ष की लागत वृद्धि करके 2015-16 के पीएल के स्तर पर लाया गया है। इस परियोजना की अद्यतन (2015-16) लागत 3437946 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया कि एमजी लिंक में 12,165 एमसीएम पानी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है, जिसमें से मार्ग में उपयोग केवल 5665 एमसीएम है और शेष 6500 एमसीएम पानी को गोदावरी नदी

को आगे के उपयोग के लिए तीन गोदावरी-कृष्णा लिंको के माध्यम से आगे के हस्तांतरण के लिए वितरित किया जाएगा। अत एमजी लिंक परियोजना के लिए आबंटित लागत को 5665/12165 के अनुपात में निर्धारित किया गया है। श्री पंड्या ने उल्लेख किया कि अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की लागत को चार गुना बढ़ाया जाना चाहिए और शेष कुल लागत को मुद्रास्फीति दर के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने प्रत्येक वर्ष के लिए वृद्धि कारक तैयार करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (थोक मूल्य सूचकांक) के मूल्यों का उपयोग करने का सुझाव दिया। इन आंकड़ों के भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण में उपलब्ध होने की संभावना है। श्री पंड्या ने कहा कि ईपीसी ठेकों के मामले में, विशेषरूप से पनबिजली परियोजनाओं के लिए, इन आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है और ये सीईए/वापकोस में उपलब्ध हो सकते हैं। जब श्री सिन्हा ने उल्लेख किया कि सिंचाई विकास के लिए इकाई लागत का निर्धारण तीन लिंको अर्थात् केन-बेतवा, पार-तापी-नर्मदा और महानदी-गोदावरी लिंको के मूल्यों का साधारण औसत लेकर किया गया है, तो अध्यक्ष ने लागत का भारित माध्य तैयार करने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त सिंचाई विकास की भारित औसत लागत (मोटे तौर पर 35 लाख रुपए प्रति हैक्टेयर) और 500 मेगावाट से अधिक उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के लिए विद्युत विकास की लागत के लिए 62 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट और 500 मेगावाट से कम उत्पादन करने वाली परियोजनाओं के लिए 80 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट लेकर आईएलआर परियोजनाओं की लागत का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया। भूजल के माध्यम से सिंचाई के लाभों पर विचार नहीं करने का भी निर्णय लिया गया। जल आपूर्ति की लागत को भी कम करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि यह दमनगंगा-पिंजाल लिंक को छोड़कर सभी परियोजनाओं में सिंचाई विकास का हिस्सा है जो विशेष रूप से जल आपूर्ति के लिए है।

यह पाया गया कि सिंचाई विकास की लागत लगभग 2.8 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर आ रही है जो दिनांक 24.10.2017 को आयोजित पहली बैठक में मुख्य अभियंता (आईएमओ), केंद्रीय जल आयोग द्वारा उल्लिखित 3.0 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर के आंकड़े के बहुत करीब है। विद्युत विकास की लागत 80 लाख रुपए प्रति मेगावाट के रूप में निर्धारित की गई थी, इसे बहुत उचित नहीं माना गया था क्योंकि केन-बेतवा लिंक और दमनगंगा-पिंजाल लिंक की अनुमोदित परियोजनाओं से परिकल्पित विद्युत लाभ बहुत कम हैं। यह महसूस किया गया था कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/विद्युत मंत्रालय के रूप में अनुमोदित कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के आंकडे/सूचना एकत्र की जा सकती है और विद्युत विकास की इकाई लागत तैयार करने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया कि अनुमानित लागत के परिष्कृत अनुमान का दूसरा क्रम तैयार करने के लिए दो या तीन आईएलआर परियोजनाएं, जिनके लिए पूर्व में व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की गई हैं, पर भी विचार किया जाना चाहिए और बांध, नहर नेटवर्क, विद्युत, आर एंड आर, प्रतिपूरक वनीकरण आदि के संबंध में विस्तृत लागत विश्लेषण किया जाना चाहिए।

प्रति घन किमी नहर लागत पर भी कार्य किया जाना चाहिए। अनुमान 2015-16 के मूल्य स्तर पर किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय घटकों की लागत के लिए, इसे केन-बेतवा लिंक परियोजना से लिया जाना चाहिए जिसकी लागत अनुमोदित है। निदेशक (तक), राजविअ ने बताया कि दो/तीन परियोजनाओं के संबंध में

इस तरह का अभ्यास करना कम समय में व्यवहार्य नहीं हो सकता है। अत: यह भी निर्णय लिया गया कि आरंभ में महानदी-गोदावरी लिंक के संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए।

मद 3.5 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला।

समूह के अध्यक्ष ने 09 जनवरी, 2018 को वित्तीय पहलुओं पर समूह की 4वीं बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया क्योंकि अधिकांश लोग दिसंबर, 2017 के अंतिम सप्ताह में छुट्टी पर होंगे। इस कार्यसूची में निम्नलिखित शामिल होंगे - (i) आईएलआर कार्यक्रम के लिए उपलब्ध हो सकने वाले राजकोषीय संसाधनों के अनुमानों पर नीति आयोग द्वारा प्रस्तुतिकरण, (ii) आईएलआर कार्यक्रम के लिए उपलब्ध बैंक/संस्थागत संसाधनों के प्रक्षेपण पर यस बैंक द्वारा प्रस्तुति, और (iii) महानदी-गोदावरी लिंक का लागत विश्लेषण। समूह अपने कार्य की प्रगति का भी जायजा लेगा, और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करेगा।

बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

अनुलग्नक-I

दिनांक 8 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की तीसरी बैठक में सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची

1.	डॉ प्रोदिप्तो घोष, भारत सरकार के पूर्व सचिव और आईएलआर, नई दिल्ली के लिए टास्क फोर्स के सदस्य	अध्यक्ष
2.	श्री ए बी पांडया, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग , नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री एच सतीश राव, सेवानिवृत्त निदेशक, एडीबी, बंगलोर	सदस्य
4.	श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता (आईएमओ), केंद्रीय जल आयोग , नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री आर के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य

6.	श्री एम के मित्तल, निदेशक (वित्त), एनएचपीसी, फरीदाबाद	सदस्य
7.	श्री प्रणय रंजन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री राणा कपूर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड,मुंबई का प्रतिनिधित्व करते हुए
8.	श्री आर के पचौरी, मुख्य अभियंता (पीपीओ), केंद्रीय जल आयोग , नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	डॉ दीपक दासगुप्ता, पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय , नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	श्री केपी गुप्ता निदेशक (तकनीकी), राजविअ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
	अन्य अधिकारी	
1.	श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक, राजविअ, नई दिल्ली	
2.	श्री एम के सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार, राजविअ, नई दिल्ली	

अनुलग्नक-3.1

कृपया मद 2.4 के अंतर्गत निम्न टिप्पणियों को प्रतिस्थापित करें:

अध्यक्ष महोदय ने श्री सतीश राव से चीन में ऐसी ही परियोजनाओं के वित्तपोषण तंत्र के बारे में जानना चाहा। श्री राव ने बताया कि चीन ने हाल ही में दो मेगा परियोजनाओं का निर्माण किया है- (i) थ्री गॉर्जेस परियोजना, और (ii) नदियों जोड़ परियोजना । थ्री गॉर्जेस परियोजना में 30 बिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से लगभग 14 बीसीएम जल के पथांतरण की परिकल्पना की गई थी। यह वित्तपोषण

मुख्यरूप से केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा किया गया था। चीन की राज्य सरकारें राज्य के स्वामित्व वाले वाणिज्यिक विकास बैंकों (सीडीबी) के बावजूद धन उत्पन्न करने में सक्षम हैं। उनका रिकवरी मैकेनिज्म काफी अच्छा है। चीन की दक्षिण से उत्तर जल अंतरण परियोजना के संबंध में उन्होंने उल्लेख किया कि इस परियोजना में 80 बिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से 28 बीसीएम जल के अंतरण की परिकल्पना की गई है। 50% निधियां केन्द्र द्वारा प्रदान की गई थीं और शेष निधियां बैंकों सहित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई थीं। श्री राव ने यह भी बताया कि चीन ने नहरों के किनारे नौवहन सुविधाएं और वाणिज्यिक पार्क विकसित किए हैं, जिनके माध्यम से उन्हें अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है।

संशोधित संस्करण नीचे दिया गया है:

अध्यक्ष महोदय ने श्री सतीश राव से चीन में ऐसी ही परियोजनाओं के वित्तपोषण तंत्र के बारे में जानना चाहा। श्री राव ने बताया कि चीन ने हाल ही में दो बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया है- (i) थ्री गॉर्जेस परियोजना, और (ii) नदी जोड़ परियोजना ।

थ्री गॉर्जेस परियोजना को 1992 में $ 8.4 बिलियन की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था। निर्माण 1994 में शुरू हुआ और यांग्त्ज़ी नदी पर 185 मीटर (607 फीट) ऊंची बांध परियोजना 2006 में $ 37 बिलियन की अनुमानित कुल लागत से पूरी हुई, जिसमें 1.3 मिलियन विस्थापित लोगों को पुनर्स्थापित करने के लिए लगभग $ 10 बिलियन शामिल थे। परियोजना के दायरे में बिजली उत्पादन (22.5 गीगावॉट), बाढ़ नियंत्रण और बांध के पीछे नौवहन करने के लिए जहाज-ताले / जहाज-लिफ्ट शामिल हैं।

चीन की दक्षिण से उत्तर जल हस्तांतरण परियोजना के बारे में, उन्होंने उल्लेख किया कि इस परियोजना में दक्षिण (यांग्त्ज़ी नदी) से उत्तर (पीली नदी से परे) में तीन मार्गों के माध्यम से पानी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है: पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। दो मार्गों (पूर्वी और मध्य) का निर्माण 2014 में समाप्त होने वाले 12 वर्षों की अवधि में किया गया है; पश्चिम में कठिन पहाड़ी इलाके के कारण तीसरे मार्ग (पश्चिमी) को स्थगित कर दिया गया है। पूर्ण दो मार्ग लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर 28 बीसीएम पानी (लगभग दो मार्गों पर समान रूप से विभाजित) स्थानांतरित करेंगे। दोनों मार्गों को पूरा करने की लागत लगभग 80 बिलियन डॉलर आंकी गई है। वित्त पोषण मुख्य रूप से केंद्र, प्रांतों (अक्सर अचल संपत्ति डेवलपर्स को भूमि विकास के अधिकारों को बेचकर जुटाए गए धन के साथ) और राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा प्रदान किया गया था। राजस्व 2002 के जल कानून में उल्लिखित लागत वसूली के सिद्धांत के अनुसार निर्धारित पानी की कीमतों के माध्यम से उत्पन्न होता है। श्री राव ने यह भी बताया कि चीन ने नहरों के किनारे नौवहन सुविधाएं और वाणिज्यिक पार्क विकसित किए हैं, जिनके माध्यम से उन्हें अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है।

धन्यवाद,

सतीश